1

[2022] 11 एस. सी. आर 1

क.

राम सरन चतुर्वेदी बनाम.

मध्य प्रदेश राज्य (2010 की आपराधिक अपील संख्या 1066) 25 अगस्त, 2022

[बी**.** आर**.** गवई और पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:एसएस।201, 380, 435, 457 और 477 rw s।120 बी-बैंक से नकदी की चोरी-आपराधिक साजिश-रुपये की चोरी के अपराध के लिए बैंक के तीन कर्मचारियों पर मुकदमा चलाना। बैंक के सुरक्षित और मजबूत कमरे से छह लाख रुपये, घर में अतिक्रमण, मूल्यवान प्रतिभूति को नष्ट करना और अन्य अपराध-मुख्य आरोपी व्यक्ति ए 1 और ए 2 को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, जिसके अनुसार उनके कब्जे से धन बरामद किया गया है-अपीलकर्ता, बैंक द्वारा बनाए गए दोहरे लॉकर प्रणाली की चाबियों में से एक की अभिरक्षा में मुख्य कैशियर, केवल एस की सहायता से उसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।120 बी-ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।201, 380, 435, 457 और 477 rw s।120 बी-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की, हालांकि सजा को कम कर दिया।201 – अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःअपीलार्थी के लिए न तो कोई स्पष्ट कार्य है और न ही उससे चोरी की गई संपत्ति की कोई बरामदगी-अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को संतुष्ट करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में विफलता कि अपीलार्थी और ए-1 और ए-2 के बीच मन की एक पूर्व बैठक हुई थी, जो यू/एस आरोप के लिए सर्वोत्कृष्ट है।120-बी-आसपास की परिस्थितियों, घोषणाओं या अपीलार्थी के आचरण से निकाली जा सकने वाली ऐसी सहमति की कोई भौतिक अभिव्यक्ति नहीं-इसके अलावा, न्यायालय ने केवल संदेह को समझौते के प्रमाण की कानूनी आवश्यकता के साथ बदलने के खिलाफ आगाह किया है-इसके अलावा, अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों को स्थापित करने में विफल रहा जिसमें अपीलार्थी, बैंक में कार्यात्मक दोहरी ताला प्रणाली के लिए चाबियों के केवल एक सेट का संरक्षक होने के नाते, अकेले बैंक में मजबूत कमरे और सुरक्षा कवच तक पहुंच प्रदान करने के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है-इस प्रकार, पक्षों के बीच एक समझौते के अभाव में, यहां तक कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से निष्कर्ष निकालकर भी, अपीलार्थी ए.

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

1

2 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 11 एस. सी. आर.

आपराधिक साजिश के आरोप से बरी किया जाए-निचली अदालतों द्वारा आदेश, रद्द कर दिया गया और दरकिनार कर दिया गया।

केरल राज्य बनाम पी**.** सुगाथन और अन्र। **(2000) 8** एससीसी

203 :[2000] 3 पूरक।एस. सी. आर. 409; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू (2005) 11 एस. सी. सी. 600:[2005] 2 पूरक।

एस**.** सी**.** आर**. 79;** तन्वीबेन पंकजकुमार दिवेतिया बनाम राज्य

गुजरात (1997) 7 एससीसी 156:[1997] 1 पूरक।एससीआर 96; राम नारायण पोपली बनाम सीबीआई (2003) 3 एससीसी 641:[2003] 1 एस. सी. आर. 119-संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

ग

[2000] 3 पूरक।एससीआर **409**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

[2005] 2 पूरक।एससीआर **79**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

[1997] 1 पूरक।एससीआर **96**

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

[2003] 1 एससीआर **119**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

डी.

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2010 की आपराधिक अपील सं. 1066।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 05.08.2008 के निर्णय और आदेश से, 2006 की आपराधिक अपील संख्या 212 में ग्वालियर की ग्वालियर पीठ।

ई.

सुश्री एस. जनानी, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

पशुपति नाथ राजदान, पृथ्वीराज सिंह, मिर्जा कायेश बेग, प्रखर श्रीवास्तव, आस्तिक गुप्ता, सुश्री आयुषी मित्तल, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

च

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.**

1. अभियुक्त नं. द्वारा यह अपील। 3 1, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 201,380,435,457 और 477 के तहत अपराधों के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुना द्वारा लगाए गए अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि करने वाली 2006 की आपराधिक अपील संख्या 212 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती

देता है।उच्च न्यायालय ने चार साल के कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ एक लाख रुपये के जुर्माने की भी पुष्टि की। धारा 380,435,457 के तहत 500

जी.

1 इसके बाद अपीलार्थी के रूप में संदर्भित किया जाता है।

एच.

3

राम शरण चतुरवेदी बनाम मध्य प्रदेश राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

क.

आई. पी. सी. और दो साल के कठोर कारावास के साथ-साथ रु। आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत 500। हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 477 के तहत सजा को छह साल के कठोर कारावास से घटाकर चार साल कर दिया गया था।

2.1 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की गुना शाखा के तीन कर्मचारियों पर चोरी के उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। बैंक के सुरक्षित और मजबूत कमरे से छह लाख), घर में अतिक्रमण, मूल्यवान सुरक्षा को नष्ट करना और अन्य अपराध।जबकि मुख्य आरोपी, प्रदीप सक्सेना (इसके बाद 'ए-1' के रूप में संदर्भित) और विनोद (इसके बाद 'ए-2' के रूप में संदर्भित) को दोषी ठहराया गया और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ सजा सुनाई गई, जिसके अनुसार धन उनके कब्जे से बरामद किया गया साबित हुआ, अपीलार्थी (ए-3) को दोषी ठहराया गया और केवल आईपीसी की धारा 120 बी की सहायता से उन्हीं अपराधों के लिए सजा सुनाई गई।

ग

2.2 इसलिए अपीलार्थी के खिलाफ जांच उसके और अन्य अभियुक्त के बीच आपराधिक साजिश के अस्तित्व या सबूत तक ही सीमित है।अपीलार्थी के खिलाफ साजिश का आरोप इसलिए लगा क्योंकि प्रमुख कैशियर के रूप में, उसे नकदी की सुरक्षित अभिरक्षा और मूल्यवान प्रतिभूति के लिए बैंक द्वारा बनाए गए दोहरे लॉकर प्रणाली की चाबियों में से एक की अभिरक्षा में होना था।

डी.

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मौजूदा शाखा प्रबंधक श्री आर. के. माकोरे, वरिष्ठ प्रबंधक के स्थानांतरण पर

ई.

श्री के. आर. लिडिया (इसके बाद 'पीडब्लू-4' के रूप में संदर्भित) को प्रभारी प्रबंधक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। चूंकि वह क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर में एक बैठक में भाग लेने के लिए छुट्टी पर थे, इसलिए एक अन्य कर्मचारी श्री सुशील कुमार वर्मा (जिन्हें इसके बाद 'पीडब्लू-10' कहा जाता है) को प्रभारी प्रबंधक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया।गुना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक बहुत छोटी शाखा है लेकिन 11.06.2004 पर रु। पंद्रह लाख रुपये बैंक के कब्जे में आ गए और बैंक में हर कोई इस तथ्य से अवगत था।अगले दिन, 12.06.2004, एक शनिवार था, और लेन-देन पूरा होने और शाम 5:45 बजे शाखा बंद होने के बाद, यह केवल सोमवार को फिर से खोला गया, यानी 14.06.2004 सुबह 10.30 पर, बीच के रविवार को छुट्टी थी।चूँकि चोरी और अन्य अपराध शनिवार शाम 5ः45 बजे के बाद और सोमवार सुबहः1 बजेः1 बजेः1 बजे

जी.

एच.

4

4. आईडी1 पर दोपहर करीब 3:30 बजे बैंक में कंप्यूटर में समस्या आ गई और पीडब्लू-10 इसे ठीक करने में जुट गया।जैसे ही बैंक बंद होने वाला था, एक ग्राहक श्रीमती। सीमा जैन अंदर आई और बैंक लॉकर का उपयोग करने की कोशिश की, जिसके लिए पीडब्लू-10 ने अपीलार्थी से मदद मांगी।अपीलार्थी ने संजय दरिया (इसके बाद 'पीडब्लू-12' के रूप में संदर्भित) के साथ लॉकर कक्ष में प्रवेश किया और ग्राहक को लॉकर चलाने में मदद की।उपर्युक्त लेन-देन के बाद, अपीलार्थी ने बैंक छोड़ दिया। पीडब्लू-10, पीडब्लू-12 और ए-1 शाम 5:45 बजे तक परिसर में रहे और दिन के अंत तक, ए-1 द्वारा मुख्य द्वार के ताले सुरक्षित करने के बाद, पीडब्लू-10 और पीडब्लू-12 अपने-अपने आवासों के लिए रवाना हो गए।

5. सोमवार को सफाई कर्मचारी राजेंद्र प्रेमी (पीडब्लू-9) शाखा के मुख्य द्वार की चाबी लेने के लिए अपीलार्थी के घर गए।बैंक पहुँचने के बाद, उन्होंने सफाई का अपना नियमित काम शुरू कर दिया जब एक अन्य चपरासी दशरथ यादव (इसके बाद 'पीडब्लू-5' के रूप में संदर्भित), सुरक्षा गार्ड राम नरेश भदोरिया (पीडब्लू-7) और पीडब्लू-10 भी लगभग 10.00 पर बैंक पहुँच गए। लगभग उसी समय, अपीलकर्ता भी बैंक पहुँच गया।पीडब्लू-5 को स्ट्रांग रूम का मुख्य द्वार खोलने के लिए कहा गया था, और अभियोजन पक्ष का मामला है कि इस द्वार को प्रभारी प्रबंधक पीडब्लू-10 की चाबी से नहीं खोला जा सका।हालाँकि, यह अपीलार्थी की चाबी की मदद से खोला गया।जैसे ही उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम में प्रवेश किया, उन्हें पेट्रोल की जलती हुई गंध महसूस हुई।उसके बाद, उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम का ग्रिल गेट खोलने की कोशिश की।इसे पीडब्लू-10 की अभिरक्षा में चाबी के साथ भी नहीं खोला जा सकता था, लेकिन अपीलार्थी की चाबी के साथ खोला जा सकता था।ग्रिल गेट के पास से कमरे में प्रवेश करने पर, कर्मचारियों ने देखा कि बैंक रजिस्टर खुले पड़े थे, और उनमें से कुछ जली हुई स्थिति में थे।इसके अलावा, स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर की तिजोरी को भी पीडब्लू-10 की चाबी से नहीं खोला जा सकता था, लेकिन अपीलार्थी की चाबी से खोला जा सकता था।तिजोरी खोलने पर उन्होंने देखा कि मुद्रा नोटों और सुरक्षित दस्तावेजों का बंडल आधा जली हुई स्थिति में था और बिखरा हुआ था।निरीक्षण के बाद, यह देखा गया कि रु। 18,07,691-12.06.2004 के रूप में बैंक की अभिरक्षा में, रु। छह लाख रुपये के नोट गायब थे। 17, 160/- आधे जले हुए हालत में थे।इस समय ए-1 बैंक में नहीं था।पीडब्लू-10 ने वरिष्ठ प्रबंधक पीडब्लू-4 को सुबह 10.30 पर इन घटनाओं के बारे में सूचित किया। पीडब्लू-4 बैंक में लौट आया और अंत में पुलिस स्टेशन गुना के समक्ष शाम 6.15 बजे 14.06.2004 पर 2004 की प्राथमिकी संख्या 538 दर्ज की।आईपीसी की धारा 436 और 380 के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

5

जाँचः

6. जाँच के दौरान, ए-1 से 15.06.2004 पर पूछताछ की गई।मेमो एक्स के माध्यम से उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर। पी-5, रु। 5,40,000 ए-2 के घर में एक कमरे के 'तंद' में एक ब्रीफकेस से बरामद किया गया था, और रुपये की शेष राशि। उसके घर की अलमारी में रखे लॉकर से भी 50,000 रुपये बरामद किए गए।इसके अलावा, ए-2 ने शाखा की कैंटीन में छिपी शेष पेट्रोल वाली प्लास्टिक की बोतल की पहचान करने और उसे बरामद करने के लिए जांच का नेतृत्व किया। जाँच अधिकारी ने इसे मेमो एक्स के माध्यम से जब्त कर लिया। पी-58।

7. इमारत के ताले, या मुख्य द्वार, स्ट्रॉन्ग रूम के ग्रिल गेट, या यहां तक कि बैंक में सेफ के टूटने के सबूत के अभाव में, यह अनुमान लगाया गया था कि चोरी का कार्य वास्तविक चाबियों के उपयोग के बिना संभव नहीं था।चूँकि चाबियों का दूसरा सेट अपीलार्थी की आधिकारिक हिरासत में था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

ग

8. ए-1 और ए-2 पर आई. पी. सी. की धारा 436,457,380,201 और 477 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था, जबकि अपीलार्थी पर उसी अपराध के लिए धारा 120 बी की सहायता से आरोप लगाया गया था।2004 के सत्र मामला संख्या 228 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुना द्वारा तीनों अभियुक्तों पर एक साथ मुकदमा चलाया गया था।

डी.

परीक्षणः

ई.

9. अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों से पूछताछ की, जो पीडब्लू-1 से पीडब्लू-20 थे और 65 दस्तावेजों को चिह्नित किया।चूंकि अपराध के होने का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, इसलिए अभियोजन पक्ष को पीडब्लू-4, पीडब्लू-5, पीडब्लू-6, पीडब्लू-7, पीडब्लू-8, पीडब्लू-9 और पीडब्लू-15 की गवाही के माध्यम से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा करना पड़ा ताकि यह साबित किया जा सके कि पेट्रोल के छिड़काव से मुद्रा नोटों और दस्तावेजों की चोरी और उन्हें जलाया जाना वास्तव में ए-1 और ए-2 के कहने पर हुआ था।

च

ट्रायल कोर्टः

10. निचली अदालत ने ए-1 और ए-2 की याचिका को खारिज कर दिया कि चोरी का कोई अपराध नहीं किया गया था क्योंकि पूरी नकदी बरामद की गई थी, यह मानते हुए कि ए-1 के बयानों के आधार पर ए-2 से बरामद नकद रसीदें, विभिन्न बैंकों की पर्ची, और निस्संदेह चोरी की संपत्ति शामिल थी।इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि 12.06.2004 और 14.06.2004 से बैंक के शाखा-वार खाता विवरणों में बैंक द्वारा रखी गई राशि में कोई बदलाव नहीं दिखाया गया है।

जी.

एच.

पीडब्लू-4 की गवाही और की गई वसूली के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया।

11. निचली अदालत ने ए-1 और ए-2 को सभी अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई जैसा कि पहले संकेत दिया गया था।बैंक, स्ट्रॉन्ग रूम और फिर उसमें सुरक्षित स्थान में अभियुक्त के प्रवेश से निपटने के लिए, ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू-4 के साक्ष्य पर भरोसा किया, जिन्होंने दोहरे ताला प्रणाली की सहायता से मजबूत स्थान और सुरक्षित स्थान के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लेख किया।पीडब्लू-4, पीडब्लू-5, पीडब्लू-7, पीडब्लू-8, पीडब्लू-10 की गवाही के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता उन चाबियों में से एक की अनन्य हिरासत में था जिसका उपयोग ग्रिल गेट, स्ट्रॉन्ग रूम के संचालन के लिए किया जा सकता था।इन गवाहों के बयानों का उल्लेख करने के बाद, निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि अपीलकर्ता चाबियों के एक सेट का संरक्षक है, इसलिए वह अपराध करने के लिए ए-1 और ए-2 के साथ साजिश का हिस्सा था।इसी निष्कर्ष पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 120 बी की सहायता से समान अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उसे अन्य अभियुक्तों के साथ सजा देने के लिए आगे बढ़ा।

ग

डी.

उच्च न्यायालयः

12. जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, उच्च न्यायालय ने एक साधारण संशोधन के साथ निचली अदालत की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की है कि आई. पी. सी. की धारा 477 के तहत छह साल के कठोर कारावास को घटाकर चार साल के कठोर कारावास कर दिया गया था।

ई.

13. अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने से पहले, हम ध्यान दे सकते हैं कि तीनों अभियुक्त पहले ही अपनी सजा काट चुके हैं।

प्रस्तुतियाँः

च

14.1 अपीलार्थी की ओर से ए. ओ. आर. सुश्री एस. जननी ने निचली अदालत में ए-1 और ए-2 की ओर से की गई दलीलों को दोहराया था कि बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि चोरी की पूरी राशि बरामद कर ली गई है।उन्होंने यह प्रदर्शित करने की मांग की कि बैंक द्वारा रखे गए खातों में राशि में कोई बदलाव नहीं था; इसलिए, निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि चोरी हुई थी और तदनुसार अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया था।

जी.

14.2 हमने श्री पशुपति नाथ राजदान, ए. ओ. आर. को श्री पृथ्वीराज सिंह, श्री मिर्जा कायेश बेग, श्री प्रखर श्रीवास्तव, ए.

एच.

राज्य की ओर से श्री आस्तिक गुप्ता और सुश्री आयुषी मित्तल।श्री राजदान ने प्रस्तुत किया है कि मुकदमे के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अच्छी तरह से प्रशंसित साक्ष्य के आधार पर निष्कर्षों को सही ढंग से समाप्त किया है, और उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं है।

विश्लेषणः

15. हम सुश्री जनानी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि न तो चोरी का अपराध हुआ है और न ही बैंक को कोई नुकसान हुआ है, ठीक उसी कारण से जो निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने ए-1 और ए-2 की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए दिया था।हम दोहराते हैं कि चोरी के तथ्य को साबित करने वाले वरिष्ठ प्रबंधक पीडब्लू-4 की गवाही के अलावा, दोनों अदालतों ने पाया है कि ए-2 के घर से बरामद नोटों पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक सहित विभिन्न बैंकों की पर्ची थी। बैंक द्वारा केवल चोरी की गई राशि की वसूली ए-1 और ए-2 और उस मामले में अपीलार्थी को भी दोषमुक्त नहीं करती है। इसलिए, हमें इस निवेदन को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है।

ग

डी.

16. जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, हमने नोट किया है कि न तो उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्य किया गया है और न ही उससे चोरी की गई संपत्ति की कोई बरामदगी हुई है।उसके खिलाफ निष्कर्ष केवल इस कारण से निकाला गया है कि उसके पास मुख्य द्वार के ताले खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली चाबियों का सेट, स्ट्रॉन्ग रूम की ग्रिल और उसके अंदर की तिजोरी 14.06.2004 पर थी।इसलिए, उनकी दोषसिद्धि और सजा विशेष रूप से आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत साजिश के आरोप पर आधारित थी। 17.लॉकरों के लिए चाबियों के एक सेट के अधिकृत संरक्षक होने के लिए अपीलार्थी के दायित्व पर विचार करने से पहले, बैंक द्वारा अपनाई गई दोहरी ताला प्रणाली की जांच करना आवश्यक है।बैंक की कार्यालय नियमावली में यह प्रावधान है कि नकदी को बैंक के मजबूत कमरे में संग्रहीत किया जाना था, जो एक दोहरी नियंत्रण प्रणाली द्वारा संरक्षित था, जहां ताले दो चाबियों द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं जो क्रमिक रूप से और अलग से संचालित होते हैं।शाखा प्रबंधक और कैशियर-इन-चार्ज को स्ट्रॉन्ग रूम और सेफ की चाबियों के सेट की संयुक्त अभिरक्षा में होना चाहिए।तैयार संदर्भ के लिए नियमावली में प्रासंगिक खंड नीचे दिए गए हैंः

ई.

च

जी.

“ 2.1.1 शाखा नकद शेष राशि को रात भर स्ट्रॉन्ग रूम में, या छोटी शाखाओं में रखा जाना चाहिए, जहां अग्निरोधी सेफ में कोई स्ट्रॉन्ग रूम स्थापित नहीं किया गया है, हेड कैशियर और मैनेजर या नकदी की संयुक्त अभिरक्षा रखने के लिए अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए।

एच.

2.1.2 स्ट्रॉन्ग रूम या फायर-प्रूफ सेफ, हेड कैशियर और प्रभारी अधिकारी के दोहरे ताले के नीचे होना चाहिए, और जब भी नकदी निकालने या जमा करने के लिए स्ट्रॉन्ग रूम या सेफ खोला जाता है तो दोनों को मौजूद होना चाहिए और कोई भी अधिकारी दूसरे की उपस्थिति के अलावा स्ट्रॉन्ग रूम के नकद हिस्से में प्रवेश नहीं कर सकता है।

2.1.3 दोहरी नियंत्रण प्रणाली के तहत, यह सलाह दी जाती है कि शाखा प्रबंधक को कैश सेफ की दूसरी चाबी और कैशियर-प्रभारी को पहली चाबी अपने पास रखनी चाहिए।सेफ को लॉक करने के क्रम के अनुसार पहली और दूसरी चाबियों का नाम रखा गया है।स्ट्रांग रूम के दरवाजे के लिए, शाखा प्रबंधक पहली चाबी और कैशियर-इन-चार्ज दूसरी चाबी रखेगा।

ग

.....

2.1.6 स्ट्रांग रूम/सेफ की सामग्री के लिए प्रमुख धारक संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं।"

डी.

18. आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत आरोप पर लौटते हुए, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य केवल यह दिखाएंगे कि जब सोमवार की सुबह, यानी 14.06.2004, पीडब्लू-5 और प्रभारी प्रबंधक पीडब्लू-10 ने अपीलार्थी के साथ मुख्य द्वार, स्ट्रॉन्ग रूम के ग्रिल गेट के साथ-साथ सेफ को खोलने की मांग की, तो कथित तौर पर पी. डब्ल्यू-10 के कब्जे में चाबियों के सेट के साथ ताले नहीं खोले जा सके, लेकिन अपीलार्थी की हिरासत में चाबियों के सेट के माध्यम से खोले जा सकते थे।पी. डब्ल्यू.-10 की चाबियों के साथ ताले न खुलने का कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है।यह तथ्य कि इन ताले को अपीलार्थी के कब्जे में चाबी द्वारा खोला जा सकता था, अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि ए-1 और ए-2 को अपराध करने के लिए सुरक्षित स्थान तक पहुँचने में सक्षम बनाने के लिए अकेले वह जिम्मेदार था।दोहरे ताला प्रणाली का उद्देश्य और उद्देश्य किसी भी एकल संरक्षक को मजबूत कमरे और सुरक्षित स्थान तक पहुँचने से रोकना है।

ई.

च

19. खंड 2 के अनुसार।2 कार्यालय नियमावली के अनुसार, दोनों प्रमुख धारकों को हर बार ताला सुरक्षित करने या खोलने के लिए अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक था, सिवाय आपातकालीन परिस्थितियों के जो अगले वरिष्ठ अधिकारी को चाबी सौंपने और प्रमुख आंदोलन रजिस्टर में उसी को दर्ज करने के लिए निर्धारित करते हैं।हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि मुख्य आंदोलन रजिस्टर को अभियोजन पक्ष द्वारा इस आधार पर जब्त या प्रस्तुत नहीं किया गया था कि इसका व्यावहारिक रूप से कभी उपयोग नहीं किया गया था।इसके अलावा, खंड 2.6 कार्यालय नियमावली में कहा गया है कि दोनों प्रमुख धारक स्ट्रांग रूम और सेफ की सामग्री के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।इन परिस्थितियों में, हम ए के हैं

जी.

एच.

9

राम शरण चतुरवेदी बनाम मध्य प्रदेश राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

यह राय कि अपीलार्थी को केवल कार्यालय नियमावली का पालन करने में विफलता के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है, और इस कारण से अपीलार्थी के पास चाबियों का अनन्य अधिकार उसे पहले बताए गए अपराधों के लिए दोषी नहीं बना सकता है।

20. अपने साक्ष्य में, पीडब्लू-10 ने कहा कि 12.06.2004 पर, उसने एक आकस्मिक कर्मचारी ए-1 द्वारा शाखा के मुख्य द्वार को बंद कर दिया।इसके बाद, 14.06.2004 पर, सफाई कर्मचारी ने अपीलार्थी के घर से चाबियों का यह सेट प्राप्त किया, एक तथ्य जिसका उपयोग अभियोजन पक्ष द्वारा यह इंगित करने के लिए किया गया था कि 12.06.2004 पर शाखा को बंद करने के बाद, अपीलार्थी के पास शाखा के मुख्य द्वार की चाबियाँ थीं।इस पर, निचली अदालत ने पीडब्लू-10 की ओर से चूक को नजरअंदाज कर दिया।विचारण न्यायालय की यह संदिग्ध टिप्पणी इस प्रकार हैः

ग

" सुशील वर्मा (पीडब्लू-10) ने जिरह के पैराग्राफ नंबर 30 में स्वीकार किया था कि ताला केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही बैंक के नियमों के अनुसार बंद किया जा सकता है।आरोपी प्रदीप एक आकस्मिक कर्मचारी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने चाबी सौंपते समय जानबूझकर गलती की थी।गवाह ने पैराग्राफ नंबर 36 में आगे कहा कि बाहरी गेट को आरोपी प्रदीप ने बंद कर दिया था।यह कहना सही है कि उन्हें गेट बंद करने का कोई अधिकार नहीं था।इस प्रकार गवाह ने बैंक के नियम के अनुसार अधिकृत व्यक्ति द्वारा ताला बंद नहीं कराया, लेकिन ताला अनधिकृत व्यक्ति द्वारा बंद किया गया था।लेकिन गवाह द्वारा की गई त्रुटियाँ अभियुक्त को अपराध के परिणामों से छूट नहीं देती हैं।इससे अभियुक्त को कोई लाभ नहीं मिलता है।"

डी.

ई.

(जोर दिया गया) 21.इस तथ्य के अलावा कि अपीलकर्ता स्वयं उस अधिकारी की उपस्थिति के बिना बैंक के स्ट्रांग रूम और सेफ का संचालन नहीं कर सकता था जो चाबियों के दूसरे सेट की अभिरक्षा में था, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष एक ओर अपीलार्थी और दूसरी ओर ए-1 और ए-2 के बीच किसी भी समझौते के अस्तित्व का संकेत देने के लिए कोई सबूत पेश करने में पूरी तरह से विफल रहा।साजिश के आरोप को साबित करने के लिए आवश्यक कड़ी पूरी तरह से गायब है।22. आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश के अपराध का प्रमुख घटक अपराध करने का समझौता है।इस तरह के समझौते को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए।न्यायालय को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या कोई

च

जी.

एच.

अपीलार्थी और ए-1 और ए-2 के बीच समझौता।केरल राज्य बनाम पी. सुगाथन और अन्र के निर्णय में। 2, इस न्यायालय ने नोट किया कि एक समझौता साजिश के अपराध का मूल है, और इसे कुछ भौतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से साक्ष्य में सामने आना चाहिएः

"12. .....अन्य सभी आपराधिक अपराधों की तरह, अभियोजन पक्ष को आरोपी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है।.....यहाँ कुछ अंश और वहाँ कुछ अंश जिन पर अभियोजन पक्ष निर्भर करता है, अभियुक्त को आपराधिक साजिश के अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

13. .....अपराध का सबसे महत्वपूर्ण घटक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक अवैध कार्य करने के लिए समझौता है। ऐसे मामले में जहां आपराधिक साजिश का आरोप लगाया जाता है, अदालत को यह जांच करनी चाहिए कि क्या दोनों व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक ही उद्देश्य का पीछा कर रहे हैं या वे गैरकानूनी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आए हैं।पहला उन्हें षड्यंत्रकारी नहीं बनाता है लेकिन दूसरा करता है।षड्यंत्र के अपराध के लिए समझौते की किसी प्रकार की भौतिक अभिव्यक्ति स्थापित करने की आवश्यकता होती है।स्पष्ट समझौते को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।गैरकानूनी कार्य को साझा करने वाले विचारों के प्रसारण के बारे में सबूत पर्याप्त नहीं हैं "(जोर दिया गया)।

ग

डी.

ई.

23. अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा षड्यंत्र के आरोप को उसकी ओर से स्पष्ट कार्यों या आचरण का सबूत देना चाहिए, जो ए-1 और ए-2 के साथ एक सामान्य डिजाइन की सचेत और स्पष्ट सहमति को प्रकट करता है।राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू 3 में, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

च

"101. एक और सिद्धांत जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि प्रत्येक परिस्थिति के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के बजाय अभियुक्त के अपराध का निर्धारण करने में सिद्ध परिस्थितियों के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।बेशक, प्रत्येक परिस्थिति को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए।अंत में, षड्यंत्र से संबंधित साक्ष्य की सराहना के संबंध में, न्यायालय को यह देखने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि

जी.

2 (2000) 8 एससीसी 203। 3 (2005) 11 एससीसी 600।

एच.

11

राम शरण चतुरवेदी बनाम मध्य प्रदेश राज्य [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

क.

पक्षों को सामान्य अभिकल्पना और उसके निष्पादन के बारे में अपनी सहमति का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त जागरूक और स्पष्ट होना चाहिए।"

(जोर दिया गया) 24।अभियोजन पक्ष की कहानी को स्वीकार करते हुए, निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ केवल संदेह के आधार पर कार्रवाई की, जो ठीक वैसा ही है जैसा इस अदालत ने तन्वीबेन पंकजकुमार दिवेतिया बनाम गुजरात राज्य 4 में इसके खिलाफ आगाह किया थाः

“45. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि के सिद्धांत को इस न्यायालय के कई निर्णयों में इंगित किया गया है और कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि प्रत्येक दोषपूर्ण स्थिति को विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए और इस तरह से साबित परिस्थितियों को घटनाओं की एक श्रृंखला बनानी चाहिए जिससे अभियुक्त के अपराध के बारे में एकमात्र अप्रतिरोध्य निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सके और अपराध के खिलाफ कोई अन्य परिकल्पना संभव नहीं है।इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि किसी मामले में काफी हद तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करते हुए, हमेशा एक खतरा होता है कि अनुमान या संदेह कानूनी प्रमाण का स्थान ले सकता है।न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि घटनाओं की श्रृंखला में विभिन्न परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से स्थापित की गई हैं और घटनाओं की ऐसी पूरी श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जिससे अभियुक्त के निर्दोष होने की उचित संभावना को खारिज किया जा सके।यह भी संकेत दिया गया है कि जब महत्वपूर्ण कड़ी जाती है, तो परिस्थितियों की श्रृंखला टूट जाती है और अन्य परिस्थितियाँ, किसी भी तरह से, सभी उचित संदेहों से परे अभियुक्त के अपराध को स्थापित नहीं कर सकती हैं।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को सतर्क रहना होगा और संदेह को कानूनी प्रमाण की जगह लेने की अनुमति देने के खतरे से बचना होगा क्योंकि कभी-कभी अनजाने में यह नैतिक निश्चितता और कानूनी प्रमाण के बीच एक छोटा कदम हो सकता है।इस न्यायालय द्वारा यह संकेत दिया गया है कि "सच हो सकता है" और "सच होना चाहिए" के बीच एक लंबी मानसिक दूरी है और यही कुछ निष्कर्षों से अनुमानों को विभाजित करता है।(जहरलाल दास बनाम उड़ीसा राज्य (1991) 3 एस. सी. सी. 27) "

ग

डी.

ई.

च

जी.

(जोर दिया गया)

एच.

4 (1997) 7 एससीसी 156।

12

25. यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त के बीच एक स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट समझौता होना चाहिए।हालांकि, एक निहित समझौते को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में स्थापित सिद्धांतों पर भरोसा करने पर प्रकट होना चाहिए।तदनुसार, राम नारायण पोपली बनाम सी. बी. आई. 5 की बहुमत राय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया थाः

"354. ..... षड्यंत्र के अपराध के लिए समझौते की किसी प्रकार की भौतिक अभिव्यक्ति स्थापित करने की आवश्यकता होती है।स्पष्ट समझौते को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।गैरकानूनी कार्य को साझा करने वाले विचारों के प्रसारण के बारे में सबूत पर्याप्त नहीं हैं।

26. इस न्यायालय द्वारा आपराधिक षड्यंत्र पर कानून के स्पष्ट प्रतिपादन को देखते हुए, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष अदालत को संतुष्ट करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी और ए-1 और ए-2 के बीच मन की पूर्व बैठक हुई थी।आसपास की परिस्थितियों, घोषणाओं या अपीलार्थी के आचरण से निकाली जा सकने वाली ऐसी सहमति की कोई भौतिक अभिव्यक्ति नहीं है।सबूत अभियुक्त के साथ अपीलार्थी की साजिश की एक निष्क्रिय स्वीकृति से भी कटा हुआ है, साजिश में अपीलार्थी की स्पष्ट और कर्तव्यनिष्ठ भागीदारी की घोषणा करना तो दूर की बात है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय ने केवल संदेह को समझौते के प्रमाण की कानूनी आवश्यकता से बदलने के खिलाफ आगाह किया है।

ग

डी.

ई.

27. ऊपर बताए गए कारणों से हमारी राय है कि अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों को स्थापित करने में विफल रहा जिसमें अपीलकर्ता, बैंक में कार्यात्मक दोहरी ताला प्रणाली के लिए चाबियों के केवल एक सेट का संरक्षक होने के नाते, अकेले बैंक में स्ट्रॉन्ग रूम और सेफ तक पहुंच प्रदान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।हमारा यह भी स्पष्ट मत है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी, ए-1 और ए-2 के बीच किसी भी समझौते के अस्तित्व को स्थापित करने में विफल रहा, जो आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत आरोप के लिए सर्वोत्कृष्ट है। इस तरह के समझौते के अभाव में, यहां तक कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से निष्कर्ष निकालकर भी, अपीलार्थी आपराधिक साजिश के आरोप से बरी होने का हकदार है।28. हमारे द्वारा बनाए गए कारणों और निष्कर्षों के लिए, हम एतद्द्वाराः i) 2010 की आपराधिक अपील सं. 1066 को अनुमति दें।

च

जी.

(ii) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2006 की आपराधिक अपील संख्या 212 में दिनांक 05.08.2008 पर पारित निर्णय और

5 (2003) 3 एससीसी 641।

एच.

क.

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुना को 2004 के सत्र मामले संख्या 228 में, दिनांक 07.03.2006, इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

iii) अपीलार्थी को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है।(iv) पक्षकारों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी होगी।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.